न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 89/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/234**
दायर दिनांक :– 25.10.2021 **निर्णय दिनांक :– 14.08.2025**

1. शैतानाराम पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
2. रामरतन पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
3. कैलाश पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
4. शिवप्रताप पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
5. रामेश्वरी पुत्री बाबूराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
6. जशोदा पुत्री बाबूराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हड़मानराम पुत्र गणपतराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जु जिला बीकानेर
2. बाबूराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अप्रार्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को उक्त वाद में सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खंसरा नम्बर 109/4 रकबा 44–17 बीघा खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद है जो प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के दादा व पड़दादा यानि कि पांचा वल्द मोवा के नांम वक्त सेटलमेंट दर्ज थी। जो वक्त सेटलमेंट के समय से उनके स्वामित्व एवं कब्जा काश्त ग्राम सिड में स्थित थी जो वर्तमान राजस्व ग्राम खिदरत तहसील बाप में आती है तथा उसके फौत होने पर उसके वारिसान के नाम फूला, प्रहलाद, छोगा वगैरा के नाम दर्ज हुई तथा इसके बाद छोगा का भी देहान्त सम्वत 2056 में हो गया तब छोगा के लडके बाबूराम, हरीकिशन के नाम से दर्ज की गई तत्पश्चात मौखिक बंटवाड़ा होकर उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में आई व राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। छोंगा के देहान्त के बाद प्रार्थीगण को खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हो गये परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से

14/8/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अप्रार्थी संख्या 2 बाबूराम अकेले के नाम दर्ज कर दी, जिस पर प्रार्थीगण भी छोगाराम के जीवन काल में काश्त करते आ रहे है। आज दिन भी प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की कब्जा सुदा उक्त जमीन पर अप्रार्थी संख्या 1 येन केन प्रकरेण कब्जा करना चाहता है तथा भूमि को आगे बेचान करने की धमकिया दे रहे है। प्रार्थीगण के हक कब्जे की जमीन अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे में चली जायेगी, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की खतोनी बन्दोबस्त का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पाचा वल्द मोवा कौम विश्नोई के नाम खतोनी बन्दोबस्त में दर्ज है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान होने के कथन प्रार्थना–पत्र में अंकित किये गये है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादपत्र में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, खतोनी बन्दोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पाचा वल्द मोवा कौम विश्नोई के नाम खतोनी बन्दोबस्त में दर्ज है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान होने के कथन प्रार्थना–पत्र में अंकित किये गये है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के उपभोग व उपयोग आदि सुविधा से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)